न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री रामकुमार टाडा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 66/2023

1. अतुलकुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण
2. दीपक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण
3. पारूल कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण
4. विद्या देवी पत्नि बृजमोहन जाति ब्राहम्ण

समस्त निवासीगण सुभाष नगर , ब्यावर रोड अजमेर तहसील व जिला अजमेर

...प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसागन जिला अजमेर।

... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री पुष्पेन्द्र सोनी — अभिभाषक प्रार्थीगण

—: निर्णय :— दिनांक 16.04.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—अ रा0 का0 अधिनियम 1955 का अप्रार्थी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात खाता संख्या नया 357 पुराना 317 खसरा सख्या 361, 364, 367 की आराजी ग्राम मांगलियावास तहसील पीसागंन में अवस्थित है। प्रार्थी के लगती हुयी अप्रार्थी के सरकारी खसरा सख्या 370 स्थित है एंव उक्त सरकारी आराजी के आगे मागंलियावास की मुख्य सडक है जिसके कि खंसरा संख्या 570 गैर मुमकिन सडक स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से अप्रार्थी के खसरा संख्या 370 में से करीबन 30 फिट चौडा किमतन रास्ता दिया जाकर वर्तमान. नक्शे में तरमीम अंकित किया जावे। रास्ते का प्रतिकर प्रार्थीगण को जमा कराने का आदेश फरमावें।

जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये । प्रार्थीया रेखा जाखड पत्नि राजेन्द्र बोराणा ने जरिये अभिभाषक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 का वास्ते पक्षकार बनने का पेश किया जिस पर बहस सुनी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया।

तहसीलदार पीसागंन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुयी । प्रार्थना पत्र बहस सुनी गयी। तहसीलदार पीसागंन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को इस चाहे गये रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। तहसीलदार पीसांगन से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का रकबा 0.0130 है. है जिसकी डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि 68671/— रूपये बनती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मांगलियावास तहसील पीसागंन में प्रार्थी के खेत खसरा सख्या 361, 364, 367 तक पहुंचने हेतु सिवायचक खसरा संख्या 370 में से होते हुए सरकारी गै0मु0 सडक खसरा संख्या 570 तक 30 फिट चौडा रास्ता , रास्ते में आने वाली भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. की दुगुनी राशि का अप्रार्थी सख्या 1 के पक्ष में जमाकरा कर चालान प्रार्थीगण से प्राप्त कर , राजस्व रिकार्ड में रास्ता तरमीम किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

Scanned with CamScanner